

78416 - क्या अज़ान सुनने से पहले रोज़ा इफ़्तार करना जायज़ है?

प्रश्न

क्या अज़ान से कुछ सेकंड पहले खाना जायज़ है, जबकि ज्ञात रहे कि मैं अज़ान नहीं सुनता हूँ और यह शीयों का क्षेत्र है जो हमारी अज़ान के बाद अज़ान देते हैं?

विस्तृत उत्तर

जब सूरज डूब जाए तो रोज़ेदार के लिए रोज़ा इफ़्तार करना जायज़ हो गया, चाहे मुअज़्ज़िन अज़ान दे या अज़ान न दे। क्योंकि सूर्य के डूबने का एतिबार है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है:

“जब रात यहाँ से आ जाए और दिन यहाँ से चला जाए और सूरज डूब जाए तो रोज़ेदार के इफ़्तार का समय हो गया।” इसे बुखारी (हदीस संख्या : 1954) और मुस्लिम (हदीस संख्या : 1100) ने रिवायत किया है।

इब्ने दक्क़ीक़ अल-ईद कहते हैं : “इस हदीस में शीया का खण्डन है उनके रोज़ा इफ़्तार को सितारों के प्रकट होने तक विलंब करने में।” “फ़तुह बारी” से समाप्त हुआ।

कुछ मुअज़्ज़िन लोग सूर्यास्त के बाद कुछ अवधि के लिए विलंब करते हैं, तो उसके अज़ान का एतिबार नहीं है, और उसका यह कार्य नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मार्गदर्शन (तरीक़े) के विरुद्ध है, जिन्होंने हमें सूर्यास्त के बाद रोज़ा इफ़्तार करने में जल्दी करने पर उभारा है, चुनाँचे आप ने फरमाया: “लोग निरंतर भलाई में रहेंगे जब तक वे रोज़ा इफ़्तार करने में जल्दी करते रहेंगे।” इसे बुखारी (हदीस संख्या: 1957) और मुस्लिम (हदीस संख्या: 1098) ने रिवायत किया है।

रोज़ेदार के लिए उस समय रोज़ा इफ़्तार करना जायज़ है जब उसे सूर्य के डूबने का प्रबल गुमान हो जाए और यक़ीन का प्राप्त होना शर्त नहीं है, बल्कि गुमान का अधिक होना पर्याप्त है।

अतः जब रोज़ेदार को ग़ालिब गुमान हो जाए कि सूरज डूब गया है और उसने इफ़्तार कर लिया, तो उसके ऊपर कुछ भी अनिवार्य नहीं है।

जबकि उसके लिए ऐसी स्थिति में रोज़ा इफ़्तार करना जायज़ नहीं है जब उसे उसके डूबने के बारे में संदेह हो।

शेख़ इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह फरमाते है:

“रोज़ा इफ़्तार करने में जल्दी करना मस्नून है, अर्थात् जब सूरज डूब जाए तो उसमें जल्दी करना चाहिए। अतः एतिबार सूरज के डूबने का है, अज़ान का नहीं। विशेषकर वर्तमान समय में जहाँ लोग कैलेंडर पर निर्भर करते हैं, फिर कैलेंडर का एतिबार अपनी

घड़ियों के अनुसार करते हैं, और उनकी घड़ियों में बदलाव हो सकता है, वे आगे या पीछे हो सकती हैं। अतः अगर सूरज डूब जाए और आप उसको देख रहे हों, और लोगों ने अभी तक अज्ञान न दिया हो, तो आप रोज़ा इफ्तार कर सकते हैं। जबकि यदि वे अज्ञान दे दें और आप देख रहे हों कि सूरज नहीं डूबा है, तो आपके लिए रोज़ा इफ्तार करने की अनुमति नहीं है। क्योंकि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया:

“जब रात यहाँ से आ जाए और आप ने पूर्व की ओर इशारा किया, तथा दिन यहाँ से चला जाए और आप ने पश्चिम की ओर इशारा किया, और सूरज डूब जाए तो रोज़ेदार के इफ्तार का समय हो गया।”

तथा तेज रोशनी का अस्तित्व हानिकारक नहीं है। चुनाँचे कुछ लोगों का कहना है: हम ऐसे ही रहेंगे यहाँ तक कि सूरज की टिकिया लुप्त हो जाए और कुछ अंधेरा शुरू हो जाए, तो इसका कोई एतिबार नहीं है। बल्कि आप सूरज की टिकिया को देखें जब उसके ऊपर का भाग गायब हो जाए, तो वास्तव में सूरज डूब गया और रोज़ा इफ्तार करना मसून (धर्मसंगत) हो गया।

इफ्तारी में जल्दी करने के सुन्नत होने का प्रमाण: आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह फरमान है: "लोग निरंतर भलाई में रहेंगे जब तक वे रोज़ा इफ्तार करने में जल्दी करते रहेंगे।" इससे हमें पता चलता है कि जो लोग इफ्तार को सितारों के प्रकट होने तक विलंब करते हैं जैसे कि राफ़िज़ा (शिया) लोग, वे भलाई में नहीं हैं।

यदि कोई कहने वाला कहे: क्या मैं अधिक गुमान के आधार पर रोज़ा इफ्तार कर सकता हूँ, अर्थात् अगर मेरा अधिक गुमान यह हो कि सूरज डूब गया है, तो क्या मैं रोज़ा इफ्तार कर सकता हूँ?

तो इसका जवाब यह है कि : हाँ, और इस का प्रमाण वह हदीस है जो सहीह बुखारी में अस्मा बिन्त अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा से साबित है कि उन्होंने ने फरमाया : "नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के समयकाल में एक बदली वाले दिन में, हमने रोज़ा इफ्तार कर लिया, फिर सूरज निकल आया।" यह बात सर्वज्ञात है कि उन्होंने ने ज्ञान (यक़ीन) के आधार पर रोज़ा नहीं खोला था। क्योंकि अगर उन्होंने ने ज्ञान (यक़ीन) के आधार पर रोज़ा खोला होता तो सूरज प्रकट न होता। बल्कि उन्होंने ने अधिक गुमान के आधार पर रोज़ा खोला था कि वह डूब गया है, फिर जब बदली छट गई तो सूरज निकल आया।"

समाप्त हुआ।

"अश-शर्हुल-मुस्ते (6/267)".